

सूचना

विषय : आश्वासन मार्ग के माध्यम से आने वाले नए ग्राहकों के लिए समझौता ज़ापन

आश्वासन मार्ग के माध्यम से आने वाले नए ग्राहकों के लिए ईंधन आपूर्ति अनुबंधन के अनुसार, खरीददार तथा विक्रेता दोनों द्वारा पूर्ववर्ती कोयले की आपूर्ति शुरू करना कुछ शर्तों की पूर्ति पर निर्भर है। विक्रेता की स्थिति के संदर्भ में कोयले के आयात के लिए तैयारी की व्यवस्था भी शामिल है। हालांकि कोयले का आयात अभी भी इससे बंधा हुआ नहीं है लेकिन ग्राहक चाहते हैं कि ईंधन आपूर्ति अनुबंधन के निष्पादन के बाद उनकी कोयला आपूर्ति शुरू की जानी चाहिए।

ईंधन आपूर्ति अनुबंधन में सुसंगत धाराओं का ध्यान रखने तथा स्वदेशी कोयले से मात्रा की आपूर्ति और आयातित कोयले से हिस्सा देने के निर्णय पर, ऐसे ग्राहकों को समझौता ज़ापन हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। हमारे वेबसाइट पर समझौता ज़ापन मॉडल की एक प्रति उपलब्ध है।

महाप्रबंधक (विक्रय एवं विपणन)

प्रतिलिपि - महाप्रबंधक(प्रणाली), एमसीएल को इस अनुरोध के साथ कि इसे एमसीएल के वेबसाइट पर दर्शाये।

एसओएम, एस एवं एम विभाग, एमसीएल मुख्यालय के वेबसाइट में आवश्यक रूप से दर्शाने हेतु।

समझौता ज़ापन प्रारूप

दिनांक -----

समझौता ज़ापन (एमओयू)

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) (विक्रय)

और

मेसर्स -----(खरीददार)

के बीच

- 1) जबकि ईंधन आपूर्ति अनुबंध दिनांक ----- को विक्रेता तथा खरीददार के बीच खरीददार के -----(संयंत्र का नाम तथा पता) में कोयले की आपूर्ति हेतु हस्ताक्षरित किए गए हैं।
- 2) जबकि दिनांक -----के अनुबंध अन्य बातों के साथ ही साथ विक्रेता तथा खरीददार के कुछ पूर्ववर्ती शर्तों के लिए प्रतिनिधि पार्टी द्वारा इस शर्त को जारी करने की संतुष्टि की सूचना की स्वीकार्यता के रूप में लागू तथा "प्रभावी तिथि", "लक्ष्य प्रारम्भ तिथि" तथा प्रथम वितरण तिथि के निश्चय/घोषणा भी प्रदान करता है।
- 3) जबकि खरीददार इसके द्वारा यह घोषित करता तथा गारंटी देता है कि क्रेता की स्थिति पूर्ववर्ती/प्राप्त की गई है।
- 4) जबकि विक्रेता अभी तक आयातित कोयले की आपूर्ति के संबंध में विक्रेताओं की पूर्ववर्ती शर्तों को प्राप्त/पूरा करने के लिए है। इसके बावजूद, क्रेता समझौते के तहत स्वदेशी कोयले की आपूर्ति शुरू करने के लिए इच्छुक है, जिसकी मात्रा समय-समय पर विक्रेता के पूर्ण विवेक पर निर्भर होगी।
- 5) जबकि खरीददार ने विहित पत्र प्रारूप में आयातित कोयले की आपूर्ति हेतु बिना शर्त स्वीकृति प्रदान की है।
- 6) अब, इसलिए, यह पारस्परिक रूप से सहमत है तथा इसके अंतर्गत निम्न रूप में घोषणा की गई है -

- i) यह समझौता जापन दिनांक -----के समझौते का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएगा।
- ii) क्रेता के पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि के सूचना को जारी करने तथा विक्रेता द्वारा उसकी स्वीकृति से संबन्धित दिनांक ----- के अनुबंध के प्रावधान का अनुपालन किया गया माना गया है।
- iii) विक्रेता के पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि के सूचना को जारी करने तथा क्रेता द्वारा उसकी स्वीकृति से संबन्धित दिनांक ----- के अनुबंध के प्रावधान के तहत निपटा रहे हैं।
 - क) घरेलू कोयले की आपूर्ति के संबंध में पूर्ववर्ती शर्तों को विक्रेता द्वारा अस्वीकार किया गया माना जाता है यह बताता है कि खरीदार को लागत से अधिक आधार पर कोयले की आपूर्ति के लिए कोई परियोजना की पहचान नहीं की गई है।
 - ख) आयातित कोयले की आपूर्ति के संबंध में पूर्ववर्ती शर्तों को स्थगित कर दिया जाता है जब तक कि विक्रेता द्वारा उसे प्राप्त/पूरा नहीं किया जाता है।
- iv) दिनांक ----- के अनुबंध की "प्रभावी तिथि" इस समझौता जापन को हस्ताक्षर करने की तिथि होंगी।
- v) दिनांक ----- के अनुबंध के तहत "लक्ष्य प्रारम्भ तिथि" इस समझौता जापन के हस्ताक्षर करने के तिथि से शुरू होकर 3 महीने की अवधि होगी तथा "वितरण तिथि" इस समझौता जापन के हस्ताक्षर की तिथि से शुरू होकर 1 महीने होगी।
- vi) दिनांक ----- के अनुबंध के अंतर्गत स्वदेशी कोयले की आपूर्ति की मात्रा समय समय पर विक्रेता के पूर्ण विवेक पर होगा लेकिन किसी मामले में एसीक्यू के 50% से ज्यादा नहीं होगा।
- vii) कम आपूर्ति या कम उठाव से उत्पन्न मुआवजे की गणना के उद्देश्य के लिए दिनांक -- -----के उपरोक्त अनुबंध के तहत एसीक्यू को 50% तक घटाया जाएगा। अन्य शब्दों में, यदि ईंधन आपूर्ति अनुबंध में दिए गए के अनुसार आपूर्ति / भार उठाना एसीक्यू के 25% से कम हो तो क्षतिपूर्ति देय होगी।
- viii) क्योंकि स्वदेशी कोयले की मात्रा समय-समय पर अलग-अलग हो सकती है एसीक्यू के 50% और इसी अवधि के दौरान विक्रेता द्वारा किए गए स्वदेशी कोयले के आवंटन की मात्रा के बीच के अंतर को विक्रेता के समझे जाने वाले मात्रा के रूप में गिना जाएगा।
- ix) इसके बावजूद, खरीदार द्वारा विक्रेता को देय कार्यनिष्पादन प्रदर्शन एसीक्यू की गणना करके 50% तक घटा दिया जाएगा। अन्य शब्दों में, एसीक्यू के 45% से 47.5% के बीच अतिरिक्त वितरणों के लिए 0.15% से गुणा करके कार्यनिष्पादन प्रदर्शन के साथ

एसीक्यू के 47.5% से अधिक अतिरिक्त डिलीवरी के लिए 0.30 के रूप में गुणक के साथ एसीक्यू खरीददार द्वारा विक्रेता को देय होगा।

x) सीआईएल से आयातित कोयला से संबंधित पक्ष समझौते की प्राप्ति पर, दिनांकित ----- के समझौते के प्रावधान के अनुसार खरीददार उसका निष्पादन तथा उसके तुरंत अनुपालन हेतु कोई व्यवस्था करेगा तथा और यह समझौता पक्ष के समझौते के अनुरूप और अनुपालन के अधीन होगा।

xi) इस समझौता ज्ञापन को विक्रेता बिना किसी देयता या सूचना जो भी हो उसे समाप्त करने का अधिकार रखते हैं।

xii) जैसा और जब भी, यदि कोई कैप्टिव कोयला ब्लॉक खरीदार को आवंटित किया गया हो, तो उसे विक्रेता को सूचित किया जाएगा। ईंधन आपूर्ति अनुबंध के अंतर्गत एसीक्यू तदनुसार संशोधित होगा।

कृते एमसीएल

कृते खरीददार

निदेशक(तकनीकी/प्रचालन)